Ref No: PSB/HO/Shares Cell / 64 /2025-26 **December 24, 2025**

To,

BSE Limited, **Department of Corporate Services,** 25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. **SCRIP ID : PSB** **SCRIP CODE : 533295**	**National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. **SYMBOL: PSB SERIES: EQ**

Dear Sir,

Reg: Newspaper Publication

This is in continuation to our intimation dated December 23, 2025 wherein it was informed that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on January 21, 2026. In this regard, Bank has also published a notice in the newspapers.

A copy of newspaper publication in Business Standard (Hindi and English editions) on 24.12.2025 is forwarded for your reference.

Yours faithfully

Saket Mehrotra Digitally signed by Saket Mehrotra Date: 2025.12.24 17:41:58 +05'30'

PUNJAB & SIND BANK H.O. Accounts & Audit Deptt. (Shares Cell) (शेयर कक्ष) EAST KIDWAI NAGAR, NEW DELHI

Saket Mehrotra
Company Secretary

Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110008
Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023
Email: complianceofficer@psb.bank.in

Easing of liquor policy for GIFT City to boost hospitality, investments

ANEEKA CHATTERJEE
Bengaluru, 23 December

As Gujarat positions Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) as India's global financial hub, the state government has further eased liquor consumption rules within the enclave, signalling a pragmatic shift aimed at attracting multinational firms and investments, and ensuring hospitality growth.

The latest move removes one of the key friction points for visitors, temporary liquor permits, while allowing licensed hotels and restaurants operational flexibility. Industry stakeholders see the changes as part of a broader effort to align GIFT City's social and business environment with international expectations.

Anant S Iyer, director general of the Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies (CIABC), said the relaxation would help attract global companies and professionals. "When we talk about India integrating into a global village, we need to provide world-class infrastructure and services. Progressive steps like these make that possible," he said, adding that the move would boost investments, job creation, hospitality, MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions) activity, and tax revenues for the state.

Decoding liquor norms

- New rules allow licensed hotels and restaurants operational flexibility
- External visitors can consume liquor at designated hotels with valid ID proof
- Allow licensed hotels and restaurants to serve alcohol anywhere within their premises, subject to regulations

In a recent notification issued by the home department, the Gujarat government amended earlier orders under the Gujarat Prohibition Act, 1949, expanding exemptions, simplifying permit procedures, and significantly widening access to licensed liquor facilities in GIFT City. The changes build on relaxations first introduced in December 2023, and subsequently modified in April 2025.

Under the revised framework, individuals working in or visiting GIFT City are exempted from several provisions of the Prohibition Act, while holders of FL III licences, issued to hotels and restaurants, are exempted from multiple provisions of both the Act and the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953.

Sanjit Padhi, chief executive officer of the International Spirits and Wines Association of India (ISWAI), said the reform was a timely step that brings the operating environment closer to global standards. "From an industry perspective, these changes improve ease of doing business, allowing legitimate players to operate more efficiently while contributing to economic growth and formal state revenues," he said.

He further added that the measures are expected to encourage investment and strengthen the hospitality and services ecosystem. "A regulated and transparent framework supports tourism, employment and sustained revenue generation, while enhancing India's competitiveness for global businesses."

Most notably, "external persons" — individuals from outside Gujarat or foreign nationals — can now consume liquor at designated hotels and restaurants within GIFT City simply by producing a valid photo identity card. This dispenses with the earlier requirement of obtaining temporary permits, which was widely viewed as cumbersome for business visitors.

Instead of being confined to a designated "wine and dine" zone, liquor can now be served and consumed in restaurants, lawns, poolside areas, terraces, food and beverage zones, and hotel rooms. Liquor for rooms must be ordered from FL III licence holders.

Employees working in GIFT City continue to require a Liquor Access Permit, issued after verification by an authorised official. Such employees can host up to 25 visitors, who may be issued temporary permits within GIFT City itself, provided the employee accompanies them. All consumers must be 21 years or older.

Licensed hotels and restaurants are permitted to serve alcohol anywhere within their premises, subject to strict compliance and record-keeping. Unconsumed liquor must be destroyed, and violations can lead to suspension or cancellation of licences. The licence fee remains ₹1 lakh, with a security deposit of ₹2 lakh.

Vinod Giri, director general of the Brewers Association of India, termed the policy as an acknowledgment of alcohol's role in social and business engagement. "Banning alcohol outright punishes responsible consumers and drives the trade underground," he said, arguing that prohibition narratives have lost relevance in modern economies.

Real estate developers expect rate cut to spur housing sales

Real estate developers expect improved housing affordability to support sales momentum across major Indian cities, aided by lower home-loan rates following the Reserve Bank of India's repo rate cuts. According to Knight Frank India's Affordability Index, affordability improved in seven of eight top cities in 2025, even as residential sales (for 9M 2025) dipped marginally year-on-year.

Ahmedabad remains the most affordable market, followed by Pune and Kolkata, while Mumbai saw a notable improvement, breaching the 50 per cent stress threshold for the first time. NCR was the only market to see a slight decline in affordability due to premium-led price rises. Developers say easing rates, rising incomes, and stable macro conditions are sustaining demand. Knight Frank noted that, over the past few years, both weighted average prices and income levels have risen, even as home loan interest rates have followed the repo rate trajectory, which has declined 125 basis points this year. PRACHI PISAL

Homebuyers' realty check

Affordability index or EMI-to-income ratio of leading eight cities of India (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
Mumbai	52	53	51	50	47
NCR	28	29	27	27	28
Bengaluru	26	27	26	27	27
Pune	24	25	24	23	22
Chennai	24	27	25	25	23
Hyderabad	28	30	30	30	30
Kolkata	25	25	24	24	22
Ahmedabad	20	22	21	20	18

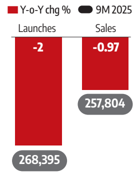

Source: Knight Frank Research

Sebi's Mumbai space quest ends, MMRDA allots BKC plot

VIKAS DHOOT & KHUSHBOO TIWARI
New Delhi/ Mumbai, 23 December

The stock market regulator's future expansion plans have got a fillip with the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) allotting it a new plot close to its headquarters in Mumbai's tony financial hub, Bandra Kurla complex or BKC.

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had been on the lookout for a land parcel to ramp up its operations, overseeing India's fast-expanding securities market, for a while now. That quest has now ended with the MMRDA conveying to Sebi that it has decided to set aside a 4,000 square metre plot for the regulator for a sum of ₹800 crore, according to a source aware of the development. The allotment is being done at a concessional rate offered to similar institutions.

"Sebi is building its capacity as it will require more space as well as resources going forward, especially with the proposed Securities Market Code mooting expedited timelines for carrying out investigations into market misconduct. The additional area near the headquarters will help create room for additional manpower and technological capacity to enhance surveillance and other core operations of the regulator," the source explained.

Currently, Sebi has two office premises in BKC, including its headquarters. Additionally, it has one office at Nariman Point in the financial capital, as per the regulator's annual report. The regulator may need to spend about ₹400 crore to ₹500 crore to construct the building and other facilities at the new plot. Sebi has over a thousand employees, nearly 92 per cent of whom sit at the head office while others are in regional offices in Delhi, Chennai, Kolkata, and Ahmedabad.

Sebi headquarters in Mumbai

Experts have also noted that once the Securities Market Code, 2025 is implemented, the market regulator need to strengthen its workforce further to cope with some of the new provisions like creating an Ombudsperson to resolve investor grievances and the 180-day deadline mooted for probes into market entities and intermediaries.

Finance Minister Nirmala Sitharaman had introduced the Code in the recently concluded winter session, and it has been referred to the Standing Committee of Parliament on Finance.

Another source said that Sebi already has plans to invest more in human resources and technology in a bid to hasten its investigations and processing of routine work.

The regulator has also laid out a plan to establish regional offices in cities like Lucknow, Hyderabad, Bengaluru, Jaipur, among others, as it seeks to enhance its regional presence at a time when the equity cult is spreading wider across India's States, including Tier-II and Tier-III cities and non-urban agglomerations.

Earlier this year in March, the MMRDA had allotted a plot at a prime location in BKC to the National Stock Exchange (NSE) for its expansion. BKC is home to major financial institutions in India — with offices of global banks, market entities, corporations and, of course, the market regulator.

TECHDIGEST mybs.in/tech

Android Emergency Location Service now in India

Google has enabled its Android Emergency Location Service (ELS) in India for the first time, starting with Uttar Pradesh. The feature automatically shares a caller's location with emergency services when number such as 112 is dialled.

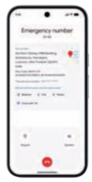

ChatGPT brings year-end wrap

ChatGPT has introduced a new year-end feature called "Your Year with ChatGPT." The feature provides users with a personalised overview of how they used the AI chatbot over the past year.

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHENNAI BENCH II
CP(CAA)/66/(CHE)/2025 IN CA(CAA)/39/ (CHE)/2025

In the matter of the Companies Act, 2013
And
In the Matter of Scheme of Amalgamation between MANIAN POWER PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 1'), VM AVIATION & REALTY PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 2') and KAVERY MOBILITY AND MEDIA PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 3') with RADIANCE REALTY DEVELOPERS INDIA LIMITED ('Transferee Company') and their respective Shareholders and Creditors.

RADIANCE REALTY DEVELOPERS INDIA LIMITED
CIN: U45201TN2007PLC062662
1st Floor, Old Door No. 110, New Door No. 111, 33 Feet Road, Anna Salai, Guindy, Chennai, Tamil Nadu-600032.
...Petitioner Company / Transferee Company

NOTICE OF HEARING OF PETITION

A Petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for an order sanctioning the Scheme of Amalgamation between MANIAN POWER PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 1'), VM AVIATION & REALTY PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 2') and KAVERY MOBILITY AND MEDIA PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 3') with RADIANCE REALTY DEVELOPERS INDIA LIMITED ('Transferee Company') and their respective Shareholders and Creditors ('the Scheme'), was presented by the Transferee Company on 04-09-2025. The Petition was admitted by the Hon'ble NCLT, Chennai Bench II vide order dated 03.12.2025 and is fixed for hearing before the NCLT Chennai Bench II on 21.01.2026.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner Company's Registered Office situated at 1st Floor, Old Door No. 110, New Door No. 111, 33 Feet Road, Anna Salai, Guindy, Chennai, Tamil Nadu-600032, a notice of his/her intention, signed by him/her or his/her advocate, with his/ her name and address, so as to reach the Company, not later than two days before the date fixed for the hearing of the Petition. Where he/she seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice.

A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

For RADIANCE REALTY DEVELOPERS INDIA LIMITED
Place: Chennai **VARUN MANIAN**
Date: 18-12-2025 Managing Director

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHENNAI BENCH II
CP(CAA)/69/(CHE)/2025 IN CA(CAA)/32/ (CHE)/2025

In the matter of the Companies Act, 2013
And
In the Matter of Scheme of Amalgamation between MANIAN POWER PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 1'), VM AVIATION & REALTY PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 2') and KAVERY MOBILITY AND MEDIA PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 3') with RADIANCE REALTY DEVELOPERS INDIA LIMITED ('Transferee Company') and their respective Shareholders and Creditors.

MANIAN POWER PRIVATE LIMITED
CIN: U40105TN2010PTC077032
1st Floor, Old Door No. 110, New Door No. 111, 33 Feet Road, Anna Salai, Guindy, Chennai, Tamil Nadu-600032.
...Petitioner Company / Transferor Company 1

NOTICE OF HEARING OF PETITION

A Petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for an order sanctioning the Scheme of Amalgamation between MANIAN POWER PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 1'), VM AVIATION & REALTY PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 2') and KAVERY MOBILITY AND MEDIA PRIVATE LIMITED ('Transferor Company – 3') with RADIANCE REALTY DEVELOPERS INDIA LIMITED ('Transferee Company') and their respective Shareholders and Creditors ('the Scheme'), was presented by the Transferor Company - 1 on 04.09.2025. The Petition was admitted by the Hon'ble NCLT, Chennai Bench II vide order dated 03.12.2025 and is fixed for hearing before the NCLT Chennai Bench II on 21.01.2026.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner Company's Registered Office situated at 1st Floor, Old Door No. 110, New Door No. 111, 33 Feet Road, Anna Salai, Guindy, Chennai, Tamil Nadu-600032, a notice of his/her intention, signed by him/her or his/her advocate, with his/ her name and address, so as to reach the Company, not later than two days before the date fixed for the hearing of the Petition. Where he/she seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice.

A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

For MANIAN POWER PRIVATE LIMITED
Place: Chennai **VARUN MANIAN**
Date: 18-12-2025 Managing Director

Form No. INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company
Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, South East Region, Hyderabad

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of M/s. Yokogawa India Limited having its registered office at No. 96, Electronics City Complex, Hosur Road, Bangalore – 560 100.

.... Applicant

Notice is hereby given to the general public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a Private Limited Company in terms of the special resolution passed at the Extra-ordinary General Meeting held on December 23, 2025 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the **Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, South East Region, Corporate Bhawan, 3rd Floor, Bandlaguda, Nagole, Tattiannaram Village, Hayat Nagar Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad-500 068,** within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Registered Office: No. 96, Electronics City Complex, Hosur Road, Bangalore 100, Karnataka, India, 560100.

Sd/-
B S Srinivasa
Company Secretary
Date : December 23, 2025
Place : Bangalore **Membership Number : A16556**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
https://bankofbaroda.bank.in

Request for Proposal for Engagement of External Consultant for Review & Recalibration of Domestic Subsidiaries and Joint Ventures Oversight Framework

Bank of Baroda invites requests for proposals for Engagement of External Consultant for Review & Recalibration of Domestic Subsidiaries and Joint Ventures Oversight Framework.

Details are available on Bank's website: https://bankofbaroda.bank.in under Tenders section and Government e-marketplace (GeM) portal.

Any Addendum/Corrigendum including modification in the tender document shall be notified only on GeM portal and on Bank's website: https://bankofbaroda.bank.in

Last date for submission of Request for Proposal (RFP) is 16.01.2026

Place: Mumbai **General Manager**
Date: 24.12.2025 **(Subsidiaries & JVs, BPR & Special Projects)**
(133/25-26)

www.esafbank.com
customercare@esafbank.com | 24x7 Tall Free 1800-103-3723
ESAF SMALL FINANCE BANK

NOTICE SEEKING 'EXPRESSION OF INTEREST' FROM ASSET RECONSTRUCTION COMPANIES (ARC) FOR SALE OF FINANCIAL ASSETS BY ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED (ESAF)

In terms of ESAF Small Finance Bank Limited (ESAF) policy on sale of Stressed Financial Assets to ARCs and in line with the regulatory guidelines, ESAF intends to undertake sale of the following loan accounts to ARCs under a Swiss Challenge Method as given below. We invite ARCs to indicate 'Expression of Interest' ("EOI") in acquiring these Financial Assets.

Nature of accounts (Stressed Assets)	No. of A/c's	Aggregate Principal O/s as on 30.09.2025	Reserve Price / Binding Offer	Starting Price for counter bid with 5% mark-up	Term of Sale
Pool 1 - Portfolio of MFI Loans	2,85,850	Rs. 893.64 Crs	Rs. 95.17 Crs	Rs. 99.93 Crs	Cash + SR basis
Pool 2 - Portfolio of MFI Loans	1,39,154	Rs. 449.91 Crs	Rs. 49.50 Crs	Rs. 51.98 Crs	Cash + SR basis
Pool 3 - Portfolio of MFI Loans	1,19,722	Rs. 350.99 Crs	Rs. 38.61 Crs	Rs. 40.54 Crs	Cash + SR basis

The interested parties may note the following in respect of the sale process:

- Any ARC submitting a counter bid shall submit a minimum counter bid as above and counter bids shall be evaluated on the basis of price and other factors as per ESAF evaluation matrix. ESAF shall sell these Stressed Loans under a Swiss Challenge Method based on existing offers in hand and the existing offer or will have the right to match the highest counter bid as per the Evaluation matrix
- The process to be followed for conducting the sale including the bid submission date, bid parameters and evaluation criteria shall be communicated separately only to the parties who have submitted their EOI.
- ESAF reserves the right to sell these assets in whole or in part, in one or multiple pools.
- ESAF reserves the right at its sole discretion, without assigning any reasons, to include additional assets to and / or withdraw certain assets or all the assets from the abovementioned pools.
- Further details of the accounts to be sold will be sent on email to interested ARCs on execution of NDA and submission of EOI. The format of NDA and EOI can be obtained from Mr. Vinod G Thampi and Mr. Lakshmikanth Mallya S _ Building No. VII/83/8, ESAF Bhavan, Mannuthy, Thrissur – Palakkad National Highway, Thrissur- 680651, Kerala. India (Email ID: vinod.thampi@esafbank.com & lakshmikanth.mallya@esafbank.com). Thereafter, the prospective buyers, can undertake the due diligence at their own cost.
- The Stressed Loans shall be sold on 'As is, where is' basis and "as is what is" basis without any recourse to the ESAF.
- The cut-off date for the sale of the above-mentioned assets shall be specified separately at the time of final bid submission as part of the sale process.
- The interested parties shall submit their Binding Bid latest by 11:00 AM of 29-12-2025
- ESAF reserves the right to terminate the sale/auction process at any point of time without prescribing any reason thereof, at its own discretion. The decision of ESAF shall be final and binding in this regard.
- Please note that any sale under this process shall be subject to ESAF's bid parameters, evaluation criteria and final approval by the Competent Authority of ESAF.
- The above stated sale of stressed loans shall be in compliance with relevant RBI and other regulatory requirements.

Regd. & Corp. Office: ESAF Small Finance Bank, Building No. VII/83/8, ESAF Bhavan, Thrissur-Palakkad National Highway, Mannuthy, Thrissur, Kerala-680 651 CIN: U65990KL2016PLC045669

THE MAHARASHTRA AGRO-INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, MUMBAI
(A Govt. of Maharashtra Undertaking)
Krushi Udyog Bhavan, Aarey Milk Colony, Dinkarrao Desai Marg, Goregaon (E),Mumbai - 65. Tel. 022-28719364
E-mail - agroenggmaidc@gmail.com

E-TENDER NOTICE 2025-26

Online E-tender for Procurement of **Digital Soil Testing Kit, Developed by ICAR, with installation, AMC and Training.**

Last date of submission – 08 .01.2026.

Interested Bidders are requested to enroll and visit Maharashtra State E-tendering Portal – **www.mahatenders.gov.in** for details of the tender documents. Tender document can also be seen on our website **www.maidcmumbai.com**

Sd/-
(Suresh Sonawane)
Dy.Gen.Manager (AE)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
https://bankofbaroda.bank.in

CORPORATE ACCOUNTS AND TAXATION DEPARTMENT
BARODA CORPORATE CENTRE, MUMBAI

TENDER NOTICE

Bank of Baroda invites online proposal for the following:

Sr. No.	Tender Name	Last date for submission of Bid
1	Request for Proposal for Engagement of Legal Counsel (LC) for proposed Qualified Institutions Placement (QIP) services	14th January 2026
2	Request for Proposal for Selection of Merchant Bankers / Book Running Lead Managers (BRLMs) for the proposed Qualified Institutions Placement (QIP)	14th January 2026

Details are available on Bank's website https://bankofbaroda.bank.in under Tenders section and Bank of Baroda e-Tendering Portal https://bobtenders.eproc.in

"Addendum", if any, shall be published on Bank's website https://bankofbaroda.bank.in under Tenders section and Bank of Baroda e-Tendering Portal https://bobtenders.eproc.in. Bidders must refer the same before final submission of the proposal.

Place: Mumbai
Date: 24.12.2025 **Chief Financial Officer**
130/25-26

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ
Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi – 110008
Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023
https://punjabandsind.bank.in/
Where service is a way of life

NOTICE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PUNJAB & SIND BANK will be held on **Wednesday, the 21st day of January, 2026** at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) (hereinafter referred to as "e-EGM") to transact the following special business:

Agenda Item No. 1: To approve Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement up to an amount of Rs.3000 crore.

The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank.

In compliance with the various Circulars issued by MCA, electronic copies of the Notice of the e-EGM will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered in the Banks Shareholding Records / Depository Participant(s) records. Shareholders holding shares in the dematerialized mode and whose email ids are not registered are requested to register their email addresses, mobile numbers with their depositories through their Depository Participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to demat their holdings / furnish their email addresses and mobile numbers to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Pvt. Ltd Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058 Email: **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com**.

Shareholders holding shares in physical mode / electronic mode who have not registered their email ids and are desirous of receiving the Notice of the meeting by email may get their email temporarily registered by clicking the link **https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html**. The Notice of the meeting will also be uploaded on the Banks website **https://punjabandsind.bank.in/** and on the website of the Stock Exchanges.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the notice of the e-EGM through electronic voting system. The manner of remote voting for the shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the e-EGM notice. The details will be made available on the Banks Website. Shareholders are requested to visit the Banks website **https://punjabandsind.bank.in/** to obtain such details.

Shareholders may please note that in terms of the aforementioned circulars, the Bank will not be sending physical copies of the e-EGM Notice to the shareholders.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK
Place: New Delhi **Saket Mehrotra**
Date: 23 December, 2025 **Company Secretary**

Vardhmān Delivering Excellence. Since 1965.

VARDHMAN TEXTILES LIMITED	VARDHMAN SPECIAL STEELS LIMITED	VARDHMAN HOLDINGS LIMITED
CIN: L17111PB1973PLC003345	CIN: L27100PB2010PLC033930	CIN: L17111PB1962PLC002463

Registered Office: Chandigarh Road, Ludhiana, Punjab, India 141010, **Tel. No.** 91-161-2228943-48
Fax No.: 91-161- 2601048, **Email:** secretarial.lud@vardhman.com, **Website:** www.vardhman.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS - SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025, shareholders are informed that a special window has been opened only for re-lodgement of transfer deeds along with physical share certificates which were lodged prior to the deadline of 1st April, 2019 and were rejected due to deficiency in the documents /process or otherwise. This facility of re-lodgement will be available to the eligible physical shareholders till 6th January, 2026. Shareholders are requested to re-submit their transfer requests along with requisite documents with Company's Registrar and Share Transfer Agent - Alankit Assignments Limited, Unit: Vardhman Textiles Limited/Vardhman Special Steels Limited/ Vardhman Holdings Limited. 205-208, Anarkali Market, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110 055. E-mail Address: rta@alankit.com

Place: Ludhiana
Date: 23.12.2025

For Vardhman Textiles Limited Sd/- Sanjay Gupta Company Secretary
For Vardhman Special Steels Limited Sd/- Sonam Dhingra Company Secretary
For Vardhman Holdings Limited Sd/- Vikas Kumar Director

बांग्लादेश के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन

पड़ोसी देश में हिंदू व्यक्ति की हत्या के खिलाफ नई दिल्ली, कोलकाता समेत देश के कई हिस्सों में उठी आवाज

एजेंसियां

बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की पीटकर हत्या के खिलाफ मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कोलकाता, जम्मू, मुंबई और दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए। दिल्ली में हिंदू संगठनों के समर्थकों ने कड़ी सुरक्षा वाले बांग्लादेश उच्चायोग के पास अवरोधक हटा दिए और नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इलाके में सात स्तर पर अवरोधक लगाए गए हैं और पुलिस तथा अर्धसैनिक बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है।

प्रदर्शनकारी बैनर और तख्तियां लहरा रहे थे जिन पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ निंदा भरे संदेश लिखे थे। इनमें से एक तख्ती पर लिखा था, 'हिंदू रक्त की एक-एक बूंद का हिसाब चाहिए।' बांग्लादेश में 18 दिसंबर को कपड़ा फैक्टरी में काम करने वाले 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास को मैमनसिंह के बालुका में ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीटकर मार डाला और उसके शव को आग लगा दी थी। कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि यह आंदोलन सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा और मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। पुलिस ने उनसे बार-बार शांति बनाए रखने और अवरोधक तोड़ने की कोशिश न करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के पुलिस घेरे को तोड़ने की कोशिश करने पर मामूली झड़पें हुईं। कोलकाता में विहिप के सैकड़ों समर्थकों ने बांग्लादेश के उप उच्चायोग की ओर मार्च करने की कोशिश की। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। कोलकाता के बेकबागन में स्थित बांग्लादेश उप उच्चायोग कार्यालय के करीब पहुंचने की कोशिश में प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। मुंबई स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग के बाहर भी विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) मुख्यालय के बाहर भी किया गया। हिंदू संगठनों ने इसी तरह का प्रदर्शन जम्मू में भी किया गया। इस बीच अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की हत्या की निंदा की और अधिकारियों से धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और कानून के शासन को बहाल करने का आह्वान किया है। कांग्रेस सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा की गई हत्या की कड़ी निंदा की।

नई दिल्ली में मंगलवार को प्रदर्शन करते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता

भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया

भारत में बांग्लादेश के दूतावासों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के मद्देनजर मंगलवार को वहां के विदेश सचिव असद आलम सियाम ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। उस समय उप उच्चायुक्त भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वर्मा को 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और आवास के परिसर के बाहर हुई 'अप्रिय घटनाओं' और 22 दिसंबर को सिलीगुड़ी में स्थित वीजा केंद्र में विभिन्न चरमपंथी तत्वों द्वारा कथित तोड़फोड़ पर ढाका की गंभीर चिंता से अवगत कराया गया। बयान में कहा गया है, 'बांग्लादेश ने भारत में बांग्लादेश के विभिन्न दूतावासों के परिसरों के बाहर आयोजित हिंसक प्रदर्शनों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।' बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश राजनयिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ जानबूझकर की गई हिंसा या धमकी के ऐसे कृत्यों की निंदा करता है, जो न केवल दूतावास के कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि आपसी सम्मान के मूल्यों को भी कमजोर करते हैं।'

अरावली : कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

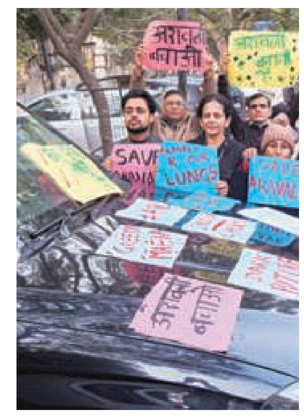

कांग्रेस ने अरावली के मुद्दे पर मंगलवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह इस पर्वतमाला को पुनः परिभाषित करने के लिए इतनी आमादा क्यों है? पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस मामले पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के स्पष्टीकरण ने और भी प्रश्न उभार दिए हैं।

यादव ने सोमवार को कांग्रेस पर अरावली की नई परिभाषा के मुद्दे पर गलत सूचना और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पर्वत श्रृंखला के केवल 0.19 प्रतिशत हिस्से में ही कानूनी रूप से खनन किया जा सकता है। यादव ने यहां प्रेसवार्ता में कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'अरावली के मुद्दे पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा हाल में दिया गया स्पष्टीकरण और भी अधिक सवाल और शंकाएं खड़ी करता है। मंत्री का कहना है कि अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से केवल 0.19 प्रतिशत क्षेत्र ही वर्तमान में खनन पट्टों के अंतर्गत है। लेकिन यह भी लगभग 68,000 एकड़ भूमि बनता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है।'

उन्होंने दावा किया कि 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर का यह आंकड़ा भी भ्रामक है। रमेश का कहना है, 'इसमें चार राज्यों के 34 जिलों का पूरा भौगोलिक क्षेत्र शामिल कर लिया गया है, जिन्हें मंत्रालय ने अरावली जिला माना है। यह गलत आधार है।' भाषा

एआई का कमाल, अप्रत्याशित व बड़े घटनाक्रम का साल

पृष्ठ 1 का शेष

पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर और एडवाइजरी लीडर दिनेश अरोड़ा ने कहा, 'यूरोप और पूर्वी एशिया एक मजबूत गठबंधन पर जोर दे रहे थे जबकि भारत ने अपने विकल्प खुले रखे। भारत वास्तव में उत्तर और दक्षिण के बीच कार्यात्मक पुल बन गया है। हम सिर्फ नेतृत्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वास्तव में समाधान मुहैया कर रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता-निर्माण पहल की शुरुआत हमने अगस्त में की थी।'

अरोड़ा के मुताबिक इसका प्रमाण संख्याओं में है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में अराजकता के बावजूद भारत लगभग सभी जी20 देशों की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति कम रखने में कामयाब रहा है।

बदल गई **दुनिया**

फोर्ब्स ने भू-राजनीति के मोर्चे पर कहा कि अमेरिका के साथ केवल संबंध मजबूत करने की ललक से बाहर निकलना एक स्वागत योग्य बदलाव है। उन्होंने कहा, 'पिछले कई वर्षों से हमारी विदेश नीति और व्यापार नीति दोनों के लिहाज से हमने भारत-अमेरिका संबंध पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, एशिया के अन्य हिस्सों के साथ अन्य प्रमुख संबंधों को अपेक्षाकृत उपेक्षित किया गया है। अब उन्हें अंततः व्यापार और विदेशी मामलों दोनों में वह तवज्जो मिल रही है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इसे जारी रखने की आवश्यकता है भले ही अमेरिका के साथ संबंध बेहतर स्थिति में आए या नहीं।'

हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते पर तेजी से हस्ताक्षर करने का निर्णय शायद एक स्पष्ट संकेत है।

वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति ने सभी को उलझाए रखा वहीं भारत में कई संकट एक साथ आ गए। आसमान और जमीन दोनों पर। 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद लंदन जा रही एयर इंडिया की बोइंग ड्रीमलाइनर का दुर्घटनाग्रस्त होना (जिसमें एक को छोड़कर सभी यात्री और जमीन पर कई लोग मारे गए) 2025 की सबसे दुखद यादों में से एक रहेगी। इस दुर्घटना के छह महीने बाद भी जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। यहां तक कि दुर्घटना के पीछे का कारण भी ज्ञात नहीं है और इसके साथ ही एक अन्य हवाई दुर्घटना रहस्य में डूब गई है। इस महीने की शुरुआत में लगातार कई दिनों तक इंडिगो ने पायलटों के लिए अनिवार्य आराम के घंटे बढ़ाने वाले एक नए विमानन नियम लागू होने के बाद पायलटों की कमी के कारण रोजाना सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दीं जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। अराजकता का असली कारण जानने के लिए कई जांच चल रही हैं, जबकि डीजीसीए ने नए नियमों को लागू करने की समय सीमा में ढील दी है। नाम नहीं छापने पर विमानन उद्योग के एक विशेषज्ञ का कहना है, 'इंडिगो विवाद के लिए सभी संबंधित पक्ष जिम्मेदार हैं।' विमानन कंपनी को लगा कि वह नियामक की तुलना में स्वयं अपने स्तर पर बेहतर प्रबंधन कर लेगी। उसके अनुसार शायद उड़ानों में व्यवधान जितने बड़े पैमाने पर हुआ उतनी तो पायलटों की कमी भी नहीं थी। इस विशेषज्ञ ने कहा, 'यह उनके लिए सुविधा की जगह परेशानी का सबब बन गया।' विशेषज्ञ डीजीसीए को दोषी ठहराते हैं जिसके बारे में उनका कहना है कि वह नियम-कायदे बनाने में तो अच्छा है लेकिन उन्हें लागू करने में असरदार साबित नहीं हुआ है। मंत्रालय ने भी तभी प्रतिक्रिया दी जब चीजें बिगड़ गईं और एक बड़ा सार्वजनिक एवं राजनीतिक मुद्दा बन गया।

इस सब के बीच हवा में कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। जी हां, एक्यूआई आजकल सबसे अधिक देखे जाने वाले मानदंड में से एक है। इन दिनों एयर प्यूरीफायर की बिक्री बढ़ रही है। राजधानी एवं उसके आस-पास के इलाकों में बढ़ते एक्यूआई स्तरों से सबसे अधिक प्रभावित होने के साथ कार्यकर्ता और स्वास्थ्य सलाहकार समूह यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि सत्तारूढ़ वर्ग उनकी बात ध्यान से सुने।

इस लेखक के साथ एक बातचीत में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य को होने वाली नुकसान पूरे साल दूषित हवा के कारण होती है और साल के आखिरी दो महीनों में यह समस्या अत्यधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा, 'इसलिए वायु प्रदूषण से निपटने के मौजूदा उपाय और प्रयास केवल साल के कुछ महीनों की कवायद बनकर नहीं रह जानी चाहिए।' उन्होंने सुझाव दिया कि एक एकीकृत बहु-एजेंसी कार्य योजना में लोक स्वास्थ्य के साथ-साथ आबादी के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए वाहन एवं औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण धूल और बायोमास जलाने से होने वाले उत्सर्जन और इसके साथ संपर्क कम किया जाना चाहिए।

प्रदूषण के मुद्दे पर मुखर रहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का मानना है कि पिछले दो दशकों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हर साल वायु गुणवत्ता खराब हुई है। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के लिहाज से यह दहलीज कब पार हो गई यह बताना मुश्किल है। बेदी के अनुसार, 'नीति एवं कानून बनाने वालों तक यह बात पहुंच गई है कि इसे हल करने के उपायों के बारे में सोचा जाए। शायद सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ सभी योगदानकर्ताओं तक संदेश स्पष्ट रूप से पहुंच चुका है। मगर स्वास्थ्य संकट को पलटने के लिए अब लोगों द्वारा मौजूदा प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है।' साल 2025 के एक अन्य संकट की बात करते हुए आर गोपालकृष्णन कहते हैं कि नमक से लेकर सेमीकंडक्टर तक बनाने वाले टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स में हालिया मतभेदों के बावजूद समूह मजबूती से खड़ा है। गोपालकृष्णन उद्योग जगत का अनुभव रखने वाले, टिप्पणीकार एवं लेखक हैं और वर्षों तक टाटा से भी जुड़े रहे हैं। टाटा ट्रस्ट्स के झगड़े का क्या असर हो सकता है, इस सवाल पर गोपालकृष्णन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हाल ही में उभरे मतभेदों का उन अंतर्निहित मूल्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनके लिए टाटा समूह हमेशा खड़ा रहा है। कम से कम लंबी अवधि तक तो बिल्कुल नहीं।'

उन्होंने कहा कि समूह के अंतर्निहित मूल्य, आचार संहिता, टाटा की कारोबारी श्रेष्ठता, इसके पुरोधाओं के जीवन मूल्यों का व्यापक उत्सव, टाटा संस का निजी इकाई बने रहना और कुशल नेतृत्व व्यवहार जैसे जीवंत और सक्रिय साधनों में निहित हैं। खासकर ब्रांड टाटा पर उन्होंने कहा कि यह आकलन नहीं किया जा सकता कि निकट अवधि में ब्रांड को क्या नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अपने पुराने अनुभव से यह लगता है कि दूरसंचार विवादों, टाटा फाइनैंस, विवादित अधिग्रहणों जैसे पिछले विवादों के बावजूद एक ब्रांड के रूप में टाटा अपनी समृद्ध संस्कृति के बल पर प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित रहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह मजबूती समूह को किसी भी परीक्षा में असफल होने नहीं देगी।

जहां तक निकट भविष्य की चुनौतियों की बात है तो साल 2025 में एआई में हुई प्रगति अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आई है। फिलहाल यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि एआई में भारी भरकम निवेश के क्या नतीजे सामने आएंगे, एआई डेटा सेंटर से बिजली और पानी की मांग तकनीक क्षेत्र को किस तरह प्रभावित करेगी या फिर दुनिया में लाखों नौकरियां चली जाएंगी। फिलहाल, भारत में वैश्विक कंपनियों की काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। एमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने पिछले कुछ महीनों में भारत में एआई और संबंधित क्षेत्रों के लिए सामूहिक रूप से 65 अरब डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है।

https://bankofbaroda.bank.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

घरेलू अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यमों की निगरानी पर्यवेक्षण व्यवस्था की समीक्षा एवं पुन:संरेखण हेतु बाह्य परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

बैंक ऑफ़ बड़ौदा घरेलू अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यमों की निगरानी पर्यवेक्षण व्यवस्था की समीक्षा एवं पुन:संरेखण हेतु बाह्य परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट - https://bankofbaroda.bank.in - के निविदा खंड और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

टेंडर दस्तावेज़ सहित किसी भी परिशिष्ट और शुद्धिपत्र में बदलाव की विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट - https://bankofbaroda.bank.in - के निविदा खंड और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर दी जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 16.01.2026 है।

स्थान : मुंबई
दिनांक: 24.12.2025

महाप्रबंधक
(अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम, बीपीआर एवं विशेष परियोजनाएँ)
(133/25-26)

https://bankofbaroda.bank.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

कॉर्पोरेट लेखा एवं कराधान विभाग
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्र. सं.	निविदा का नाम	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	प्रस्तावित अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) सेवाओं के लिए कानूनी सलाहकार (एलसी) की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध	14 जनवरी, 2026
2	प्रस्तावित अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के लिए मर्चेंट बैंकर्स / बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (बीआरएलएम) के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध	14 जनवरी, 2026

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट https://bankofbaroda.bank.in के निविदा खंड और बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ई–निविदा पोर्टल https://bobtenders.eproc.in पर उपलब्ध है।
''अतिरिक्त सूचना'', यदि कोई हो, को केवल बैंक की वेबसाइट https://bankofbaroda.bank.in के निविदा खंड और बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ई–निविदा पोर्टल https://bobtenders.eproc.in पर जारी किया जाएगा।
बोलीकर्ता कृपया आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 24.12.2025

मुख्य वित्तीय अधिकारी
130/25-26

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

आस्ति वसूली शाखा - गाजियाबाद,
ई-52-बी, सेक्टर-09, नोएडा-201301,
फोन नं.-0120-3295465
ई-मेल- arb.ghaziabad@bankofindia.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
परिशिष्ट- IV-A
नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।
आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां हैं, जिनका रचनात्मक/भौतिक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, 09.01.2026 (**समय 11:00 पूर्वाह्न से 5:00 अपराह्न**) को **'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है'** के आधार पर बेचा जाएगा।
ईएमडी/दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 09.01.2026 है। इच्छुक खरीदार अपना नाम **www.baanknet.com** पोर्टल पर पंजीकृत करवाएंगे और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन ईएमडी जमा करेंगे।
बेची जाने वाली संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

क्र. सं.	शाखा तथा खाता/कर्जदार का नाम	विवरण तथा सम्पत्ति के स्वामी	मांग सूचना की तिथि/बकाया तथा कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	अधिकृत प्राधिकारी का नाम तथा मोबाइल नं.
1.	1.) बैंक ऑफ इंडिया-गाज़ियाबाद आस्ति वसूली शाखा मेसर्स जी.आर.डी. फूड्स मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट, नगर पंचायत कार्यालय जहानाबाद के पास, तहसील- अमरिया, जिला- पीलीभीत, यूपी- 262122 नोट: लॉट नंबर 1 की बिक्री लॉट नंबर 2 की बिक्री के बाद ही की जाएगी या दोनों एक साथ	**लॉट** 1. लीजहोल्ड प्लॉट नंबर ए1 से ए8 और सी1 से सी9 का इक्विटेबल बंधक, मिनी औद्योगिक क्षेत्र, निकटवर्ती नगर पंचायत जहानाबाद, तह और जिला-पीलीभीत, श्री सतेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय धर्मेंद्र नाथ गुप्ता के नाम पर- क्षेत्रफल- 2288.58 वर्ग मीटर (470.82+1817.76) सर्वे/प्लॉट नंबर ए-1, ए-2, सी-8, सी-9 वाया मिनी इंडस्ट्रीज एस्टेट, नगर पंचायत कार्यालय के पीछे, जहानाबाद, पीलीभीत, माप- 470.82 वर्ग मीटर। सर्वे नं./ प्लॉट नं.- ए-1 और ए-2: पूर्वः प्लॉट नं. ए-3, पश्चिमः पार्क उत्तरः मिनी इंडस्ट्रियल रोड, दक्षिणः नगर पंचायत कार्यालय की सीमा सर्वे नं./ प्लॉट नं.- सी-8 और सी-9: पूर्वः मिनी इंडस्ट्रीज एस्टेट रोड, पश्चिमः कच्चा तालाब, उत्तरः प्लॉट नं.- सी-7, दक्षिणः मिनी इंडस्ट्रीज एस्टेट रोड सर्वे/ प्लॉट नं. ए-3 से ए-8 और सी-1 से सी-7 वाया मिनी इंडस्ट्रीज एस्टेट, नगर पंचायत कार्यालय के पीछे, जहानाबाद, पीलीभीत, माप- 1817.76 वर्ग मीटर पूर्वः मिनी इंडस्ट्रीज एस्टेट रोड, पश्चिमः कच्चा रोड, उत्तरः मिनी इंडस्ट्रीज एस्टेट रोड, दक्षिणः नगर पंचायत कार्यालय की सीमा	29.05.2014 / रु. 11,16,20,249.00 तिथि 29.05.2014 तथा भावी अप्रभारित ब्याज, लागत, व्यय तथा अन्य आकस्मिक प्रभार आदि भौतिक कब्जा	रु. 86.92 लाख / रु. 8.70 लाख / रु. 0.87 लाख	09.01.2026 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.	कैलाश कुमार सागर 9506722936
		लॉट 2. प्लॉट नं. ए-1, ए-2, सी-8, सी-9 और ए-3 से ए8 और सी-1 से सी7, मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट, नगर पंचायत कार्यालय के पीछे, जहानाबाद, पीलीभीत (यूपी) मेसर्स जीआरडी फूड्स के स्वामित्व में है।		रु. 12.45 लाख / रु. 1.25 लाख / रु. 0.13 लाख		

नियम और शर्तें:
1. नीलामी बिक्री/बोली केवल **https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** वेबसाइट के माध्यम से **''ऑनलाइन बोली प्रक्रिया''** के माध्यम से होगी।
2. ई-नीलामी की तिथि और समय 09.01.2026 (11.00 **पूर्वाह्न से 05.00 अपराह्न तक प्रत्येक 10 मिनट के ऑटो-एक्सटेंशन के साथ**) है। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 09.01.2026 है।
3. नीलामी बैंक की वेबसाइट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को संपत्ति के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों/वृद्धिशील मूल्य में एक साथ अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा। संपत्ति आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धिशील मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **www.baanknet.com** पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करें और उसके बाद उन्हें उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदार वेबसाइट पर अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी जमा करेंगे।
5. संपत्ति सभी मौजूदा या भावी ऋणभार (यदि कोई हो) के साथ बेची जाएगी। अधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार/दावे या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार/संपत्तियों के स्वामित्व, वैधानिक देयता/कर देयता/संपत्ति कर के बकाया आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। संपत्तियों को **www.baanknet.com** वेबसाइट पर लॉगिन करके देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए बैंकिंग कार्य समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
7. सफल बोलीदाता/क्रेता को संपत्ति की खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस (यदि **बिक्री मूल्य** 50/- **लाख** और उससे अधिक है) सहित सभी करों का भुगतान करना होगा और ऑनलाइन बिक्री के संचालन के लिए सेवा प्रदाता को देय करों का भुगतान करना होगा। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
8. असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए ईबिक्रे/बैंकनेट से स्वयं संपर्क करेंगे। अधिकृत अधिकारी ईएमडी की वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
9. अधिकृत प्राधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उन्हें किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/आस्थगित/रद्द करने या किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी की कार्यवाही से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
10. बिक्री प्रमाण-पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा तथा किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
11. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद/अगले कार्य दिवसों के अंत से पहले पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित बिक्री मूल्य का 25% तथा बिक्री मूल्य का शेष भाग बिक्री के 15**वें** दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा तथा चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट पर पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता रखते हैं, वे ग्राहक सेवा से 8291220220 या **support.baanknet@psballiance.com** पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा वेबसाइट **www.baanknet.com** में दिए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
नोट: सभी इच्छुक बोलीदाता 26.12.2025 **से** 08.01.2026 **तक** बैंक के कार्य समय के दौरान एओ/शाखा से संपर्क करने के बाद संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं/साइट का दौरा कर सकते हैं और उसके बाद या उल्लिखित तिथि से पहले साइट विजिट के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया **https://www.bankofindia.co.in / https://www.baanknet.com** पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

तिथि : 23.12.2025, स्थान : नोएडा
अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
पी.एस.बी
प्रधान कार्यालय : 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
कॉरपोरेट कार्यालय : एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
वेबसाइट : https://punjabandsind.bank.in/
जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

सूचना
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य–दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम सभा

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित विशेष कार्य का संचालन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य–दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से **बुधवार, 21 जनवरी, 2026 को प्रातः 11:00 बजे,** पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा (एतदपश्चात यहाँ 'ई–ईजीएम' के रूप में संदर्भित) का आयोजन किया जाएगा:

मद संख्या 1 : अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से ₹ 3000 करोड़ राशि तक के इक्विटी शेयर निर्गमन को अनुमोदन प्रदान करना।

बैंक का प्रधान कार्यालय, ईजीएम के लिए मानित स्थान होगा।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में ई–ईजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन समस्त शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते, बैंक शेयरधारिता अभिलेख/निक्षेपागार सहभागी (ओं) अभिलेख में पंजीकृत हैं। अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों जिनके ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, से अनुरोध है कि अपने निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से अपने ई–मेल पते, मोबाइल नंबर अपने निक्षेपागारों के पास पंजीकृत कराएं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपनी धारिता को अमूर्तीकृत करें/बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी–1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058, ई–मेल : **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com** को अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर प्रदान करें।

भौतिक रूप/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है तथा ई–मेल के माध्यम से बैठक की सूचना प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे लिंक **https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html.** पर क्लिक करके अपना ई–मेल अस्थाई रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। बैठक की सूचना, बैंक वेबसाइट **https://punjabandsind.bank.in/** तथा शेयर बाजारों की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से ई–ईजीएम सूचना में उप–वर्णित रूप में व्यवसायिक कार्यकलापों पर दूरस्थ रूप से मतदान करने का अवसर रहेगा। अमूर्त रूप, मूर्त रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक तथा वे शेयरधारक जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, के लिए दूरस्थ मतदान की शिष्टता, ई–ईजीएम सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी। विवरण, बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस प्रकार का विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक वेबसाइट**https://punjabandsind.bank.in/** का अवलोकन करें।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त उल्लिखित परिपत्रों के अनुपालन में बैंक, शेयरधारकों को ई–ईजीएम सूचना की भौतिक प्रतियां नहीं भेजेगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(साकेत मेहरोत्रा)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23 दिसंबर, 2025